

0

The Compulsory Teaching and Practice of Bhagavad Gita in Educational Institutions Bill, 2022

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षिक संस्थाओं में भगवद्गीता के अनिवार्य रूप से शिक्षण एवं अभ्यास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि शैक्षिक संस्थाओं में भगवद्गीता के अनिवार्य रूप से शिक्षण एवं अभ्यास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोला सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 127, डॉ. आलोक कुमार सुमन।

13.56 hrs